

Form No-|||

अज अदालत

फर्ट अहकाम
उपखण्ड अधिकारी

(नियम 26)

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम

सरकार

नम्बर 3 सन् 2021

किरम मुकदमा 136 एल आर.एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/3

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलरा जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी किए

03.01.22 तहसीलदार भूअ./नायब तहसीलदार (54 ला. 9)
रायसिंहनगर के पत्रांक/भूअ./प्र.गां.सं.अ./2021/1537
दिनांक 03.01.22 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत (54 ला. 9)
में प्रार्थी के नाम चक 177.10 की जमाबंदी सम्वत्
2073-76 के खाता सं. 64 में

विष्णुदेवी पत्नी राजेश प्रसाद

के स्थान पर विष्णुदेवी पत्नी

राजेश प्रसाद

की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है।
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर ले। मजमा-ए-आम कैम्प
कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार
दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति
जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब
तहसीलदार (54 ला. 9) रायसिंहनगर की अनुशंषा
के आधार पर वाके चक 177.10 तहसील
रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2073-76
के खाता सं. 64 में विष्णुदेवी

पत्नी राजेश प्रसाद

के स्थान पर

विष्णुदेवी पत्नी राजेश

प्रसाद

की दुरुस्ती करने
के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन तकसिर मजमा। इसी
अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय
का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।
पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।
आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(अपिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

